गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या–2120/आठ–3–22–198 विविध /14 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा जारी की गयी उ०प्र० ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति–2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2754/आठ–3–2022 दिनाक 28.10.2022 द्वारा उ०प्र० ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार टी०ओ०डी० जोन की सीमाओं के वास्तविक/ भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन पर प्राधिकरण बोर्ड की 165वीं बैठक दिनांक 05.08.2024 के अन्तर्गत उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। टी०ओ०डी० जोन्स के परिसीमन/ सीमांकन का प्रारूप जन–सामान्य के अवलोकनार्थ, नियोजन अनुभाग, प्रथम तल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय, गाजियाबाद में दिनांक 08.08.2024 की प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 22.08.2024 की सांय 5:00 बजे तक प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.in पर भी टी०ओ०डी० जोन्स के परिसीमन/ सीमांकन का प्रारूप प्रदर्शित किया जा रहा है।

अतः आपत्ति/सुझावकर्ता टी०ओ०डी० जोन के परिसीमन/सीमांकन के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो, उपरोक्त निर्धारित अवधि के अन्दर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सम्बोधित अपनी आपत्ति / सुझाव डाक से (पताः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद) अथवा कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, प्रथम तल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को तीन प्रतियों में लिखित रूप में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि दिनांक 22.08.2024 को सांय 5:00 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाली आपत्ति/ सुझाव पर नियमानुसार विचार नही किया जायेगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb

हेल्पलाईन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाईट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प